1422
204/17/225 महावीर बनाम भूरी वगैरह

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री आर. पी. शर्मा ....श्री राकेश अरोड़ा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.9.18	महावरी बनाम भूरी वगैरह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 04.09.2018 को अपील में अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमके तहत् वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4813, 41814, 4817 से 4822, 4828, 4829, 4946 से 4950 वाकै ग्राम कस्बा केकड़ी बाबत् उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष पेश क्रिया। वाद पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने दिनांक 28.10.2017 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री राकेश अरोड़ा उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं न्याय का यह सिद्धान्त हैं कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने नारायण की पुत्री होने बाबत् कोई सबूत पेश नहीं किया। जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय ही नहीं था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2017 को निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रस्तुत अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जो पोषणीय नही हैं इसलिए खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा दिनांक 28.10.2017 को अन्तरिम स्थगन पारित किये हैं। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड व् मौके की यथास्थिति बनायी रखी हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया एवं स्थगन संबंधी नोटिसो की जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलबी न कराने ... [illegible] माना जायेगा। अपीलांट	

KKR
304/17/15 महावीर बनाम भूरी

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री आर.पी. शर्मा ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय में श्रवणायोग्य नही हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। अतः अपील अपीलांट श्रवणायोग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 20/9/18 राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	